कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

क्रमांक / न.नि.जो. / **N.L.U.M-SEP** / 2015–16 / 1222 to 1251

दिनांक :– 17/6/15

कॉर्डिनेटर

समस्त बैंक कॉर्डिनेटर
............................जोधपुर।
संलग्न सूची अनुसार

विषय :–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (**N.U.L.M.**) के स्वरोजगार घटक के दिशा निर्देश, ~~नियम नियम एवं~~ एवं लक्ष्यों की सूची बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (N.U.L.M.) के स्वरोजगार घटक कें अर्न्तगत **B.P.L.** परिवारों को स्वरोजगार हेतु बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण दिलवाया जाना हैं। इसके तहत **B.P.L.** आवेदकों के व्यक्तिगत ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किये जा रहें हैं। लेकिन आपके शाखा प्रबन्धकों द्वारा इस योजना के लिये जारी दिशा निर्देशों नियमों की जानकारी के बारे मे अनभिज्ञता जाहिर कर ऋण आवेदन पत्र वापस लौटाये जा रहे हैं एवं इस योजना के दिशा निर्देशों एवं नियमों की जानकारी की माँग की जा रही है। जबकी पूर्व में इस योजना की प्रतियाँ 'अग्रणी जिला प्रबन्धक' (L.D.M.) महोदय को भेजी जा चुकी हैं।

अतः इस योजना के दिशा निर्देशों एवं नियमों की प्रतियाँ आपको भिजवाई जा रही है। आप अपने स्तर पर अपने शाखा प्रबन्धकों कों इस योजना से अवगत करवाते हुए पाबन्द करें कि ऋण आवेदन पत्र स्वीकार कर ऋण वितरण कर इस राष्ट्रीय महत्व की योजना में सहभागिता प्रदान करें। ताकि वर्ष 2015–16 के लक्ष्य शत–प्रतिशत प्राप्त किया जा सके। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(हस्ताक्षर) 12/6
उपायुक्त
नगर निगम, जोधपुर
O/C

3. जनसंख्या 5 लाख से 10 लाख तक CLC की संख्या — 3
4. जनसंख्या 10 लाख से अधिक CLC की संख्या — अधिकतम 8

CLC की स्थापना/संचालन का प्रस्ताव नगर निकायों द्वारा तैयार कर SMMU को भिजवाया जायेगा, जिसका SMMU से अनुमोदन उपरान्त CLC की स्थापना/संचालन की समस्त कार्यवाही नगर निकाय द्वारा अपने स्तर से की जानी है। एक CLC की स्थापना हेतु NULM के तहत तीन किस्तो में राशि 10.00 लाख की आर्थिक सहायता देय होगी। जो भौतिक आधारभूत ढांचे के निर्माण व रिनोवेशन में उपयोग नही की जा सकेगी। CLSs से सम्बधिंत विस्तृत दिशा निर्देश GoI की गाइड लाइन में स्पष्ट दिये गये है, नगर निकायो द्वारा उन्ही के अनुरूप कार्यवाही करनी है।

3- **Employment through Skill Training and Placement (EST&P) :-** NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण तथा लाभकारी रोजगार में प्लेसमेन्ट कराने का प्रावधान है, जिसमें प्रशिक्षण हेतु कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नही है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पीपीपी मोड पर कराये जाने को प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश है। योजनान्तर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम रू. 15,000 व्यय करने का प्रावधान है। इस भुगतान का एक अंश (20 प्रतिशत) लाभार्थी के स्वरोजगार/प्लेसमेन्ट की गुणवत्ता 6 माह तक देखने से जोड़ा जायेगा। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट/स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।

इस घटक का कियान्वयन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) के माध्यम से कराने की कार्यवाही विचाराधीन है, इस सम्बंध में नगर निकायों को विस्तृत दिशा– निर्देश शीघ्र ही उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- **Self-Employment Programme (SEP) :-** NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है, जिससे बीपीएल चयनित परिवार के सदस्यों द्वारा लाभकारी स्वरोजगार/उद्यम स्थापित किये जा सकें। इस घटक के तहत बीपीएल चयनित परिवार के सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए मुख्य रूप से निम्न नियम/शर्ते है :–

- लाभार्थी के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नही है, फिर भी किसी उद्यम को स्थापित करने हेतु विशेष दक्षता की आवश्यकता है तो बैंक से ऋण उपलब्ध कराने से पूर्व लाभार्थी को एनयूएलएम के EST & P घटक के तहत [illegible] दिलाना [illegible]

कहीं से भी प्राप्त किया हुआ है व आवश्यक प्रमाण–पत्र उपलब्ध है तो यह प्रशिक्षण आवश्यक नही है।

- लाभार्थी की आवेदन करते समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है।
- ऋण हेतु किसी प्रकार की बैंक गारण्टी/जमानत (Collateral Security) की आवश्यकता नही है।

इस घटक के तहत व्यक्तिगत व समूह में लाभार्थियों को निम्न सुविधाऐं/लाभ उपलब्ध कराये जाने है :–

I. **व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण व अनुदान** – इसके तहत् शहरी गरीब व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम परियोजना लागत रूपये 2.00 लाख के लिए बैंक ऋण दिया जायेगा तथा इस ऋण पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में एनयूएलएम से उपलब्ध कराई जायेगी अर्थात लाभार्थी को ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष ब्याज की राशि NULM से अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। बैंक ऋण के लिए आवेदन का प्रारूप SLBC से अनुमोदन उपरान्त शीघ्र ही नगर निकायो को उपलब्ध कराया जायेगा।

II. **समूह द्वारा उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण व अनुदान** - इसके तहत् SJSRY या NULM के तहत् गठित स्वयं सहायता समूह (SHG) या शहरी गरीबों के न्यूनतम 5 सदस्यों के एक ग्रुप (जिसमें न्यूनतम 70 प्रतिशत शहरी गरीब अनिवार्य है) को स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम परियोजना लागत रूपये 10.00 लाख के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में NULM से उपलब्ध कराई जायेगी अर्थात लाभार्थियों को ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जायेगा। तथा शेष ब्याज की राशि NULM से अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी बैंक ऋण के लिए आवेदन का प्रारूप SLBC से अनुमोदन उपरान्त शीघ्र ही नगर निकायो को उपलब्ध कराया जायेगा।

III. **उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम** - शहरी गरीबों द्वारा उद्यम स्थापित करने हेतु दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ ही 3 से 7 दिन की उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (EDP Training) दिया जाना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में उद्यम स्थापित/विकसित करने से संबंधित मूलभूत जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी जैसे – उद्यम का प्रबंधन, बेसिक अकाउंटिंग, वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग, बैकवार्ड व फोरवार्ड लिंकेजेज, कानूनी प्रक्रिया, लागत–आय, समूह गतिविधियां, कार्य का वितरण व लाभांश का बंटवारा आदि। इसके लिए आवश्यक व्यय NULM के EST & P घटक से वहन किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम (EDP Training) के सम्बंध में आपको अलग से निर्देश उपलब्ध कराये जायेगें।

IV. **स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान** (SHG-Bank Linkage)- इस घटक के तहत् बैंको द्वारा SHG के बचत खाते खोलना और उसके बाद SHG के असेसमेन्ट/ग्रेडिंग के पश्चात उसकी बचत के 4 गुना तक Savings Linked Loan प्रदान कराना होगा। इस ऋण पर भी नियमानुसार ब्याज में अनुदान देय

होगा तथा महिलाओं के समूहों को इस ऋण पर अतिरिक्त 3% ब्याज अनुदान देय होगा अर्थात महिलाओं के समूहों को यह ऋण (7–3) 4 प्रतिशत ब्याज पर देय होगा। SHG के बैंक ऋण आवेदन–पत्र सम्बंधित नगर निकायों द्वारा ही बैंक को भिजवायें जायेंगे तथा नियमानुसार ब्याज अनुदान भी सम्बंधित नगर निकाय द्वारा ही जारी किया जायेगा।

V. <u>उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड</u> - उद्यम संचालन हेतु प्रतिदिन नकद राशि (Working Capital) की आवश्यकता होती है इसके लिए बैंक द्वारा उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। एनयूएलएम के तहत् SEP में ऋण लेने वाले एवं अन्य उद्यमियों को बैंक से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती हैं। नगर निकाय ऐसे लाभार्थियों की पहचान कर उन्हे केडिट कार्ड जारी कराने में सहयोग करेंगे तथा इसकी प्रगति रिपोर्ट SMMU को भेजेंगे।

इस घटक के तहत समस्त कार्यवाही नगर निकाय द्वारा ही की जानी है, जो निम्नानुसार है :–

- <u>आवेदन प्रकिया</u> :– व्यक्तिगत व ग्रुप में सभी प्रकार के ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र सम्बंधित नगर निकाय द्वारा ही बैंको को भिजवाये (Sponsored) जायेंगे। कोई भी पात्र व्यक्ति जो स्वंय का उद्यम स्थापित करना चाहता है, एक सादा कागज पर अपना प्रार्थना पत्र सम्बंधित नगर निकाय में प्रस्तुत कर सकता है/डाक से भिजवा सकता है। नगर निकाय को इस प्रकार के आवेदन–पत्र हमेशा (सम्पूर्ण वर्ष) स्वीकार करने होंगे। नगर निकाय में आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर नगर निकाय द्वारा आवेदन–पत्र का इन्द्राज रजिस्टर/कम्प्यूटर में किया जायेगा व उसके रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित प्राप्ति रशीद लाभार्थी को उपलब्ध करानी होगी तथा नगर निकाय द्वारा लाभार्थियों की एक प्राथमिकता सूची भी तैयार की जायेगी। बैंक/एनजीओ/एसएचजी/एएलएफ/सीएलएफ आदि भी लाभार्थियों की पहचान कर आवेदन–पत्र प्राप्त कर नगर निकायों को भिजवा सकते है। नगर निकाय द्वारा प्राथमिकता सूची के क्रमानुसार लाभार्थियों को बुलाकर आवश्यक बैंक ऋण आवेदन–पत्र भरवाया जायेगा। सभी तरह से तैयार बैंक ऋण आवेदन–पत्र को नगर निकाय द्वारा नगर निकाय स्तर पर गठित टास्क फोर्स की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

- <u>टास्क फोर्स का गठन</u> :– नगर निकाय में व्यक्तिगत व ग्रुप में ऋण हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार करने/अग्रिम कार्यवाही हेतु नगर निकाय स्तर पर नगर निकायों द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा, जिसका प्रावधान योजना की गाईड लाईन में दिया गया है। नगर निकाय द्वारा समस्त ऋण आवेदन–पत्रों को टास्क फोर्स की बैठक मे प्रस्तुत करना होगा। टास्क फोर्स द्वारा आवेदन–पत्रों का परीक्षण (Scrutiny) किया जायेगा तथा लाभार्थी को इन्टरव्यू के लिए बुलाया जा सकेगा। इसके बाद टास्क फोर्स द्वारा आवेदन–पत्र को अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वीकार या निरस्त किया जा सकता है या अतिरिक्त सूचना मांग कर आगामी बैठक में पुर्नविचार हेतु लम्बित रखा जा सकता है। टास्क फोर्स द्वारा आवेदन–पत्र को बैंक को भिजवाने की सिफारिश पर नगर निकाय द्वारा आवेदन–पत्र बैंको को भिजवा दिया जायेगा, जिसका बैंक द्वारा 15 दिवस में निस्तारण करना आवश्यक होगा तथा ऐसे आवेदन–पत्रों को विशेष परिस्थितियों में ही लम्बित रखा जा सकेगा।

- **ब्याज अनुदान की प्रकिया** :- सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान प्राप्त करने के पात्र है। लाभार्थियों को ऋण का भुगतान करने के उपरान्त सभी बैंक ऋण भुगतान व ब्याज अनुदान का पूर्ण विवरण सम्बंधित नगर निकाय को भिजवायेंगे। ब्याज अनुदान सम्बंधी क्लेम्स बैंको द्वारा नगर निकायों को हर माह भिजवाये जायेगें तथा नगर निकायों द्वारा इनका त्रैमासिक आधार पर समायोजन/भुगतान किया जायेगा। ब्याज अनुदान से सम्बंधित क्लैम्स के भुगतान एक तिमाही से अधिक समय तक नगर निकाय में लम्बित नही रहने चाहिए। बैंको द्वारा ब्याज अनुदान के क्लैम्स प्रस्तुत करने का एक निर्धारित प्रारूप गाईडलाईन में दिया गया है।

5- **Support to Urban Street Vendors (SUSV) :-** इस घटक के तहत स्ट्रीट वेण्डर्स का क्षमतावर्द्धन, माईकोएन्टरप्राईजेज के विकास में सहयोग, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा अन्य कार्य सम्मिलित है। इसके तहत समयबद्ध कार्यकमानुसार स्ट्रीट वेण्डर्स का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराना, उन्हे पंजीकृत करना तथा उन्हे पहचान पत्र जारी करना आदि सम्मिलित है। इस घटक पर कुल राशि का 5 प्रतिशत व्यय किया जायेगा।

6- **Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH) :-** NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों में सबसे गरीब को आश्रय स्थल तथा उससे सम्बंधित अन्य सुविधाए उपलब्ध कराना है। यह आश्रय स्थल हमेशा अर्थात 24 घण्टे सभी 7 दिवस संचालित होगा। प्रति 1 लाख की आबादी पर स्थाई सामुदायिक आश्रय स्थल जो न्यूनतम 100 व्यक्तियों के लिए हो संचालित किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 50 वर्ग फीट अर्थात 4.645 वर्गमीटर का स्थान उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। इस आश्रय स्थल पर सभी आवश्यक सुविधाए जैसे पानी, शौचालय, बिजली, रसोई आदि उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है। इस आश्रय स्थल का संचालन Shelter Management Committee-SMC द्वारा किया जायेगा।

घटक संख्या 5 (SUSV) व 6 (SUH) के लिए विभाग स्तर पर मुख्य अभियन्ता, निदेशालय नोडल अधिकारी है, इसलिए इन दोनो घटकों के कियान्वयन के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश उनके स्तर से जारी किये जायेंगे।

7- **Inovative and Special Projects :-** NULM के इस घटक पर 5 प्रतिशत राशि व्यय की जायेगी जो केन्द्रीय अंश से ही व्यय की जायेगी, इसके लिए राज्यांश की आवश्यकता नही है। इस घटक के तहत Public Private Community Partnership - PPCP मोड को प्राथमिकता दी जायेगी। स्पेशल प्रोजेक्ट उपरोक्त किसी भी घटक से सम्बंधित हो सकते है तथा इनका संचालन सीधे ही नेशनल मिशन डायरेक्टरेट द्वारा किया जा सकता है।

No. K-14014/58(10)/2012-SLSU-SNPUPR
Government of India
Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation
(UPA Division)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 27th August, 2014

To,

Shri C.S. Baniwal
Director
Government of Rajasthan
Local Bodies Deptt.
G-3, Raj Mahal
Residency Palace Area,
Near Civil Line Phatak,
2nd Godown Jaipur- 302015

Subject: Implementation of Self Employment Programme (SEP) component of National Urban Livelihoods Mission (NULM) - issuance of circular by Reserve Bank of India- reg.

Sir/Madam,

With reference to the subject cited above, the undersigned is directed to inform that Ministry has launched the National Urban Livelihoods Mission (NULM) in the 12th Plan period by restructuring the earlier centrally sponsored scheme of Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY).

2. The Self-Employment Programme (SEP) component of NULM focuses on financial assistance to individuals/groups of urban poor for setting up gainful self employment ventures/ micro-enterprises. Interest subsidy, over and above 7% rate of interest is available on a bank loan of Rs. 2 lakh in case of individual micro enterprises and Rs. 10 lakh for setting up group enterprises. The difference between 7% p.a. and the prevailing rate of interest will be provided to banks under NULM.

3. A new component of SHG Bank Linkage has been introduced under NULM. Under this component, self help groups in urban areas can avail bank loan on 7% rate of interest. Further, an additional 3 percent interest subvention will be provided to all women SHGs in all the cities who repay their loan in time. The difference between 7% or 4% as the case may be and the prevailing rate of interest will be provided to banks under NULM.

4 In this regard, it is to inform that the Reserve Bank of India has issued a circ to all scheduled commercial banks (including RRBs) and SLBC convenor banks implementation of this Scheme, vide circular RPCD.CO.GSSD.BC.No.26/09.16.03/2014-15 dated August 14, 2014. A copy of to. circular issued by RBI is enclosed herewith for ready reference.

5 This is for your kind information and further necessary action for effect implementation of the Scheme

Yours faithfu

Encl: - As above

(Avanish Kr. Mish
Director (UP

Copy for information to:

Shri A. Udgata
Principal Chief General Manager,
Reserve Bank of India,
Rural Planning & Credit Department,
Central Office, 10th Floor, C.O. Building,
Post Box No. 10014
Mumbai-400 001

Subject:

Sir/Mada

W

that Mir

Plan pe

Shahar

2.

financi

emplo

ere

and F

the p

3.

Und

of ir

wor

or ·

unc

RBI/2014-15/177
RPCD.CO.GSSD.BC.No.26/09.16.03/2014-15 — August 14, 2014

The Chairman / Managing Director
All Scheduled Commercial Banks (Including RRBs)
and SLBC Convenor Banks

Dear Sir,

Restructuring of Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY) as National Urban Livelihoods Mission

Please refer to our Master Circular RPCD. CO. GSSD. BC. No. [illegible] dated July 01, 2013 on the Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana.

2. The Government of India, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (MoHUPA) has restructured the existing Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY) and launched the National Urban Livelihoods Mission (NULM). The Self Employment Programme (SEP) component of NULM will focus on providing financial assistance through a provision of interest subsidy on loans to support establishment of Individual & Group Enterprises and Self Help Groups ((SHGs) of urban poor.

3. The existing provision of capital subsidy for USEP (Urban Self Employment Programme) and UWSP (Urban Women Self-Help Programme) components of SJSRY has been replaced by interest subsidy for loans to Individual enterprise (SEP- I), Group enterprise (SEP- G) and Self Help Groups (SHGs).

4. We have been advised by the Ministry that the NULM is under implementation w.e.f. September 24, 2013 in all districts headquarters (irrespective of population) and all the cities with population of 1 lakh or more and that SJSRY was to remain operational till March 31, 2014. Accordingly, capital subsidy as per SJSRY guidelines will also be extended on bank loans for setting up of individual and group enterprises under USEP and UWSP components of SJSRY, respectively till March 31, 2014.

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 10वी मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई 400 001
टेलिफोन /Tel No. 91-22-22661000 फैक्स/Fax No. 91-22-22621011/22610948/22610943 ई-मेल/ Email ID [illegible]
Rural Planning & Credit Department, Central Office, 10th Floor, C.O. Building, Post Box No.10014 Mumbai 400 001
हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

चेतावनी: - रिज़र्व बैंक द्वारा मेल, डाक, एसएमएस या फोन कॉल के ज़रिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।
Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, [illegible] etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

5. The operational guidelines of the Self Employment [illegible] NULM are annexed. They are also available on the Ministry's website http://mhupa.gov.in/NULM_Mission/nulm_mission.htm

6. All the banks are advised to take note and comply with guidelines.

Yours faithfully,

(A Udgata)
Principal Chief General Manager

Encl. as above

'The
Urb
NUl

CC

ANNEXURE-V

INTEREST SUBSIDY CLAIMS UNDER NATIONAL URBAN LIVELIHOODS MISSION (NULM)

1. Name of the Bank:

Submission of Interest subsidy claims to lend @ 7% p.a. to SEP-I, SEP-G and SHGs under NULM for quarter ending (Figs in Rs):

We hereby apply for sanction and release of interest subsidy aggregating to Rs..... (Rupees .....) covering ..... Accounts in respect of financial assistance sanctioned to following constituent accounts numbers as per the details given below

A) SEP- I (Individual Enterprise)

No	Branch	Name of the Borrower	Loan Account No	Loan Amount		Interest	
				Sanctioned	Disbursed	Charged	Subsidy Claimed
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Total						

B) SEP- G (Group Enterprise)

No	Branch	Name of the Group	Loan Account No	Loan Amount		Interest	
				Sanctioned	Disbursed	Charged	Subsidy Claimed
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Total						

(c) Self Help Group (SHG Bank Linkage)

No	Branch	Name of the SHG	Loan Account No	Loan Amount		Interest	
				Sanctioned	Disbursed	Charged	Subsidy Claimed
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Total						

Place:

(Signature of the Authorised Officer of the Bank)

Date and Seal of the Bank

ANNEXURE-VI

Submission of claims for additional Interest Subvention to lend Women Self Help Groups (WSHGs) at 3% pa under NULM for the quarter ending:

Name of the Bank:

Statement for the quarterly claims: Loans disbursed/outstanding (Figs in Rs)

No	Branch	Name of the WSHG	Loan Account No	Loan Amount Disbursed	Amount of Interest subvention
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Total				

We hereby certify that above loans were repaid on time and the benefit of additional interest subvention has been passed on to the WSHG's account, reducing effective rate of interest to 4% for the prompt payee WSHGs

Place (Signature of the Authorised Officer of the Bank)

Date and Seal of the Bank

y submitted
t. You can
bmission at
(I&SP).pdf
arliest. The
rs sincerely,
K. Agarwal)

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

मांक एफ.15 (ग)/पीडी/डीएलबी/NULM-SEP/14/1738-77 दिनांक: 25-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त,
गर निगम/परिषद्
(संबंधित 40 निकाय) ....

जोधपुर नगर निगम
क्रमांक 274
दिनांक 9-5-15

विषय :- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के स्वरोजगार घटक के तहत बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की निदेशक के अ. शा. पत्र दिनांक 14.01.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 14.08.2014 को एनयूएलएम के स्वरोजगार घटक में सभी बैंको द्वारा ऋण उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है। पत्र में निर्देशित किया गया है कि यदि किसी बैंक द्वारा योजना के क्रियान्वयन में सहयोग नहीं किया जाता है तो मामले को सम्बंधित बैंक के उच्च स्तरीय प्रबंधन व एसएलबीसी के समक्ष उठाया जाये तथा उसकी सूचना भारत सरकार को भिजवाई जायें।

अतः एनयूएलएम के स्वरोजगार घटक में लक्ष्यानुरूप बैंको से प्रगति कराना सुनिश्चित करें तथा बैंको द्वारा असहयोग करने पर पत्र के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(प्रीती माथुर)
परियोजना निदेशक

क्रमांक एफ.15 (ग)/पीडी/डीएलबी/NULM-SEP/14/1778-79 दिनांक: 25-

प्रतिलिपि :- 1) निदेशक (यूपीए), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

2) संयोजक एस.एल.बी.सी जयपुर

(श्याम सिंह मीणा)
उप निदेशक (विकास)

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर
(स्टेट मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट, एनयूएलएम, जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास)

क एफ.15 (ग)/पीडी/डीएलबी/NULM लक्ष्य/2014/4805-44 दिनांक: 10-4-15

कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त,
र निगम/परिषद्
मेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, अलवर, जयपुर, दौसा, नु, सीकर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, रोही, उदयपुर, बांसवाडा, चितौडगढ, डुंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ, कोटा, बांरा, बूंदी, झालावाड, शनगढ, ब्यावर, भिवाडी, हिण्डौनसिटी, गंगापुरसिटी, सुजानगढ एवं मकराना।

षय :– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) का वर्ष 2015–16 में क्रियान्वित बाबत।

दय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समस्त घटकों के वर्ष 15–16 के लक्ष्य भारत सरकार से अभी प्राप्त नही हुए है। अतः लक्ष्य प्राप्त होने तक गत वर्ष 14–15 के लक्ष्यों को वर्ष 2015–16 के लिए संभावित (Tentative) लक्ष्य मानते हुए क्रियान्वयन नारंवत करावें।

(प्रीती माथुर)
परियोजना निदेशक

ांक एफ.15 (ग)/पीडी/डीएलबी/NULM लक्ष्य/2014/4845-48 दिनांक 10-4-15
तिलिपि : – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, जयपुर।
2. निदेशक (NULM), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार , निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
3. प्रबन्ध निदेशक, आरएसएलडीसी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, दुर्गापुरा, जयपुर को भेजकर लेख है कि गत वर्ष के लक्ष्यो के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में क्रियान्वयन एवं गत वर्ष 2014-15 में बैंको को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों पर माह जून 2015 तक शत प्रतिशत ऋण वितरण कराने हेतु सभी बैको को निर्देशित करावें ।

(श्याम सिंह)
संयुक्त निदेशक (प्लान)

24/02/15

क्रो बैंक
अग्रणी बैंक कार्याल,
461 पाल लिंक रोड,
जोधपुर 342003

UCO BANK
LEAD BANK OFFICE,
461, PAL LINK ROAD,
JODHPUR – 342 003

PHONE NO. 2633542
FAX – 0291-2753039
MOBILE No. 94139-38555
ldm.jodhpur@ucobank.co.in.

ZOJ/LDM/2014-15/276

06.02.2015

All District Coordinators in Jodhpur District

Sub: Revised Target allocation under NULM 2014-2015

As per instructions received from CEO, Nagar Nigam Jodhpur vide their letter No. NULM/2014-15/988 dated 29.01.2015 for revised allocation of target under the said scheme; we are advising all Banks mentioned below to achieve the allocated target within March 2015.

Name of Bank	Number of applications
ALLAHABAD	30
AXIS BANK	20
CENTRAL BANK	40
Dena Bank	10
SBBJ	220
SBI	180
Vijaya Bank	10
ANDHRABANK	6
UNITED BANK	6
[illegible]	10
ICICI Bank	68
INDIAN BANK	6
SYNDICATEBANK	6
Punjab & Sind Bank	6
BANK OF INDIA	6

5/3/15

IDBI BANIK	6
UCO BANK	200
BANK OF BARODA	50
BANK OF MAHARASHTRA	6
UNION BANK OF INDIA	8
INDIAN OVERSEAS BANK	6
PNB	60
CORPORATION BANK	4
RMGB	20
OBC	20
HDFC BANK	20
State Bank Patiala	20
Kotak Mahindara Bank	10
Yes Bank	6
DCB	6
ING Bank	6
Bombay Mercantile Bank	6
Dhan Laxmi Bank	6
Karnatak Bank	6
Federal Bank	6
TOTAL	1100

We request all the Bank coordinators to guide their branches and ensure for achievement of the target well before March 2015.

With Regards,

Fakhruddin

Chief Manager- LDM Jodhpur

9413938555

Copy: Zonal Office, PS, ABPD, MSME, Government scheme- deptt. Jodhpur.